निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 17 वर्ष 217-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के माह 09/2016 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री सत्यवीर संह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/11/2017 से 13/07/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री शंकर संह दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13/09/2016 से 20/09/2016 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 08/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः लोक निर्माण वभाग जिला देहरादून एवं जिला हरिद्वारा के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य।

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
								स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	2059	-	-	114.65	114.65						
2015-16	2059			111.48	111.48						
2016-17	2059			120.07	120.07						
2017-18 (06/17)	2059			65.15	42.74						

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, देहरादून

अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत, देहरादून

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1:- रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनरा श का अनिय मत व्यय कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार वभागीय प्रा धकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए क सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उ चत तरीके से निर्धारित कर बिना कसी बिलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्रा धकरण प्राप्त कए बिना वभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत लोक निर्माण वभाग देहरादून के लेखा भलेखों की जांच के दौरान पाया गया क वृत द्वारा वा र्षक अनुरक्षण के अंतर्गत जनपद देहरादून में वधान सभा क्षेत्र धर्मपुर में कारगी एवं बंजारावाला क्षेत्र के मार्गो पर व भन्न अनुरक्षण के कार्यों के अनुबंधों पर आ धक्य के कारण वचलन में होने वाले व्यय को रोडकटिंग चार्ज पर भारित कए जाने की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार वृत द्वारा उक्तां कत प्रावधानों के अनुसार रोड कटिंग चार्जेज़ की रा श को राजस्व प्राप्ति के रूप में शासकीय खाते में न डाल कर अनुरक्षण कार्यों हेतु उपयोग करने के लए अनिय मत आदेश निर्गत कए गए।

इस और इं गत कए जाने पर वृत द्वारा अवगत कराया गया क प्रमुख अ भयन्ता के आदेशानुसार स्वीकृति दी गई है

उत्तर मान्य नहीं है क्यों क प्रमुख अ भयन्ता द्वारा वत्तीय नियमो के वपरीत रोड कटिंग चार्ज से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई एवं साथ ही वृत द्वारा आदेशो की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2:- बिना नि वदा के कार्य सम्पादित कया जाना 38.36 लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 43 (d) एवं 43 (c) के अनुसार कोई भी कार्य, जिसकी लागत 5.00 लाख से अ धक होती है, के लए खुली नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए जब क 5.00 लाख तक कार्य के लए सी मत नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां वृत्त के लेखा अ भलेखों के जांच में यह ज्ञात हुआ क शासनादेश सं. 64/111(2)/08-65(प्रा.आ./2007 दिनांक 24.03.2008 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के 22219.77 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन 181 कार्यों में से एक कार्य देहरादून में ग्राम उम्मदपुर से नया गांव ईस्ट होप टाउन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य भी कराया जाना था जिसके लए 62.50 लाख की रा श स्वीकृत की गई थी। अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां वृत्त देहरादून के द्वारा मूल स्वीकृत लम्बाई 1.75 क.मी. के सापेक्ष 0.65 कमी. में लम्बाई में मरम्मत कार्य की सम्पादित कए जाने के 22.97 लाख आं शक प्रा व धकी स्वीकृति 3.10.2008 को प्रदान की गई थी। जिसका मूल कारण वन भू म का हस्तानांतरण नहीं होना था। आं शक प्रा व धकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य मार्च 2011 में पूर्ण कर लए गए थे।

अग्रेत्तर जांच में यह पाया गया क अवशेष कार्य 39.61 लाख की प्रा व धकी स्वीकृति 8.6.2016 को अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड देहरादून के द्वारा 08.06.2016 को प्रदान की गयी थी और इस अवशेष कार्य को अधीक्षण अ भयन्ता के स्वीकृति (23.08.2016) के उपरान्त अन्य कार्य के लए गठित अनुबंध सं. 41/SE-09/2015-16 दिनांक 26.02.2015 के अंतर्गत extra item slip के रूप में उक्तां कत अवशेष कार्य को 38.96 लाख के संपादित कराया गया। इससे अतिरिक्त प्रश्नगत अनुबंध के वचलन प्रतिवेदन में भी उसे त्रुटिवश सम्मि लत नहीं कया गया था जैसा क एक अवलोकन के प्रतिउत्तर से ज्ञात होता है।

इस प्रकार, अवशेष कार्य (38.56 लाख) को बिना नि वदा आंमत्रित कए सम्पादित कया गया था।

इस ओर इं गत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क कार्य को वनभू म हस्तान्तरण के बाद शीघ्र पूर्ण कराने का दबाव था। क्यों क Bituminous कार्य के लए अनुकुल

सीजन भी नहीं मलता जिसके कारण अवशेष कार्य को अतिरिक्त मद के द्वारा सम्पादित कया गया था।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता का उत्तर नियम के सर्वथा प्रतिकूल है जिसे स्वीकर नहीं कया जा सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- 20 कार्यों (24.39 प्रतिशत) का अनुश्रवण न कया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुबंध पंजिका से ज्ञात होता है क वर्ष 2014-15 , 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 46,60 एवं 69 अनुबंध का गठन अधीक्षण अ भयन्ता के स्तर से कया गया था। इन 175 गठित अनुबंधों में से 121 कार्यों को मार्च 2017 तक पूर्ण कया जाना अपे क्षत था जिसमें से 46,58 एवं 17 कार्य क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 से संबं धत थे।

कार्यालय द्वारा अधीनस्थ खण्ड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 124 कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कए जाने थे परन्तु केवल 70 कार्य ही मार्च 2017 पूर्ण कए गए थे जिससे यह स्पष्ट परिल क्षत होता है क कार्य समापन की दर लगभग 56 प्रतिशत है। पुनः कार्य के भौतिक पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है क 82 आवंटित कार्यो में से केवल 62 का ही पर्यवेक्षण / निरीक्षण कया गया था तथा शेष 20 कार्य अपर्यवे क्षत रह गये थे। इस प्रकार अधीक्षण अ भयंता द्वारा 24.39 प्रतिशत कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं दिया गया।

कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वृत्तीय कार्य में व्यस्तता के कारण वांछित निरीक्षण पूर्ण नहीं हो पाया था।

कार्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु अतिआवश्यक है।

अतः अनुश्रवण का प्रकरण शासन की संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या

शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत लोक निर्माण वभाग देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताऐः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधीक्षण अ भयन्ताओ कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	पदाव ध
1.	श्री एच.के.उप्रैती	अधीक्षण अ भयन्ता	28/12/13 से 10/07/2013
2.	श्री आर.सी.अग्रवाल	अधीक्षण अ भयन्ता	07/07/2017 से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत, लोक निर्माण वभाग देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

वाह्य लेखा परीक्षा दल संख्या -2